DOT NOTIFIES TELECOM EQUIPMENT FOR MANDATORY TESTING UNDER PHASE - II

The Department of Telecommunications (DoT) engineering wing has notified some telecom products to be put under mandatory testing regime under phase - II starting October 1, 2020.

In a notification, the Telecom Engineering Centre (TEC) said, "It is hereby notified that Mandatory Testing and Certification of Telecommunications Equipment (MTCTE) regime as provisioned in the Indian Telegraph (Amendment) Rules 2017 shall be mandatory with effect from 1st October, 2020."

The telecom products to be brought under scrutiny include transmission terminal Equipment including SDH Equipment, multiplexing equipment, Passive Optical Network (PON) family of broadband equipment - PON ONT, PON ONU and PON OLT and Ffeedback Device.

The engineering division has further said that the applications for mandatory testing would be accepted through online channel, but for the purpose of sale, import or use, such certification would be necessary from October this year.

Delhi-based Telecom Equipment Manufacturing Association (TEMA) said that it was a much-needed step, and added that the equipment would need to be tested locally through recognised laboratories.

Currently, India has more than 50 accredited labs, and the department plans to further increase such facilities to 100 as it takes a phased approach towards mandatory testing and certification. ■

डॉट ने दूसरे चरण के लिए दूरसंचार उपकरणों के अनिवार्य परीक्षण को अधिसूचित किया

दूरसंचार विभाग (डॉट) के इंजीनियरिंग विंग ने कुछ दूरसंचार उत्पादों को 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले दूसरे चरण के तहत अनिवार्य परीक्षण व्यवस्था के तहत अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना में टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी) ने कहा कि 'इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2017 में प्रावधान के अनुसार दूरसंचार उपकरण (एमटीसीटीई) के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगा।'

जिन टेलीकॉम उपकरणों को जांच के दायरे में लाया जा सकता है उनमें ट्रासमीशन टर्मिनल उपकरण, जिसमें एसडीएच उपकरण, मल्टीप्लेक्सिंग उपकरण, ब्रॉडबैंड उपकरणों के पैसिव ऑपटिकल नेटवर्क (पीओएन) परिवार –पीओएन ओएनटी, पीओएन ओएनयू और पीओएन ओएलटी और फीडबैक उपकरण शामिल हैं।

इंजीनियरिंग विभाग ने आगे बताया कि अनिवार्य परीक्षण के लिए आवेदन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे, लेकिन बिक्री, आयात या उपयोग के उद्देश्य से इस साल के अक्टूबर से इस तरह की प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी।

दिल्ली स्थित उपकरण विनिर्माण संघ (टीईएमए) ने कहा है कि यह एक बहुत आवश्यक कदम था और कहा कि उपकरणों को स्थानीयस्तर पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से परीक्षण कराना होगा।

वर्तमान में भारत में 50 से अधिक मान्यता प्राप्त प्रयोगशालायें हैं और विभाग की योजना है कि इस तरह की सुविधाओं को बढ़ाकर 100 किया जायें, क्योंकि यह अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण रखता है। ■

SCAT2020 SCAT INDIA TRADESHOW 29 - 31 October 2020
This year your favourite show goes digital
let's e-meet before we re-meet
VISITOR REGISTRATION @ www.scatindiashow.com/visitorregistrationform.aspx
A.B.I.S ASIA'S BROADCASTING & INFOTAINMENT SHOW 2020 'We Go Digital' Edition